न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं0 07/2010 (RCMS 2010/ 00007) अनवानी ज्ञान चंद पुत्र श्री गुरदित्ता राम जाति अरोड़ा, आयु 65 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 23 पुराना नया वार्ड नम्बर 15, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम नगर पालिका, सूरतगढ द्वारा अधिशाषी अधिकारी 2. सुभाष आयु 40 वर्ष 3. कृष्ण दास आयु 50 वर्ष 4. रमेश कुमार आयु 52 वर्ष 5. भूपेन्द्र कुमार आयु 36 वर्ष पुत्रगण कश्मीरी लाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 15, सूरतगढ

26.08.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजन कुक्कड़ उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि यह अपील नगरपालिका, सूरतगढ के आदेश दिनांक 21.03.2010 के विरूद्ध पेश की है, जिसके द्वारा सुभाष पुत्र रमेश चन्द्र को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2009 के सम्बन्ध में निर्माण करने की अनुमति दी गई है कि अप्रसन्नता से यह अपील ज्ञान चन्द्र पुत्र गुरदित्ता द्वारा की गई है। अपील के अवलोकन से यह मामला नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(12) के अन्तर्गत का है। नगरपालिका अधिनियम 20019 की धारा 194(12) निम्नानुसार है :

> (12) नगरपालिका या उसके द्वारा सशक्त समिति के किसी आदेश या विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से ती दिवस के भीतर–भीतर, ऐसे आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त धारा के तहत जिला कलक्टर को सुनवाई के लिए अधिकृत नहीं किया हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट संख्या 18477/2016 के निर्णय दिनांक 17.08.2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 26.05.2011 के अनुसार Director, Local Bodies, Rajasthan, the Additional Director, Local Bodies and Deputy Director (Regional) को अधिकृत किया हुआ है। इसलिए इस न्यायालय को उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः यह अपील सक्षम अर्थोटी के समक्ष पेश करने के लिए प्रार्थी को वापिस लौटानी उचित होगी।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त **अपील ज्ञानचन्द बनाम नगरपालिका एवं अन्य को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त अपील अपीलार्थी को वापिस लौटाई जाती है।** इस आश्य का नोट मूल अपील पर अंकित कर दिया जावे। **नगर परिषद्, श्रीगंगानगर को आदेश की प्रति भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर